

(भाग-क)

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिन-प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय के लेखों को रख-रखाव के लिए रजिस्ट्रार

का नाम : नरेश दास

राजनीतिक दल का नाम, यदि कोई हो : हरद्वे

जहाँ से निर्वाचन लड़ा गया : 15 (अ. 1) पिप्रा

परिणाम की घोषणा की तारीख :

एजेन्ट का नाम एवं पता : अ. 15 पिप्रा

उपगत/प्राधिकृत कुल व्यय :

एजेन्ट की तारीख से लेकर निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख तक, दोनों तारीखें सम्मिलित)

2 व्यय की प्रकृति			3 कुल राशि, ₹0 में (मुद्रातान किया गया+ धकाया)	4 आदाता का नाम और पता	5 बिल सं०/ वाउचर सं० और तारीख	6 अभ्यर्थियों या उसके निर्वाचन एजेन्ट द्वारा उपगत/प्राधिकृत राशि	7 राजनीतिक पार्टी द्वारा उपगत/प्राधिकृत राशि और राजनीतिक दल का नाम	8 जन्म व्यक्ति/ संस्था/ निकाय/ किसी अन्य द्वारा उपगत/प्राधिकृत राशि (पूरा नाम और पता लिखें)	9 टिप्पणी, यदि कोई हो
विवरण	मात्रा	प्रति यूनिट दर							
नाश्तारखी			5000	/	01				
भोजन	50	50	2500-00	/	02/01				
पत्र	50	5	250-00	/	03/02				
भोजन	2	248	296-00	/	03				
बेनर फ्लैग	16		3700-00	/	04				
जोशेफ्ट	7	2-00	15-00	/	05				
मोले	5	50	180-00	/	06				
			11,941	/					

किया जाता है कि मेरे/मेरे निर्वाचन एजेन्ट द्वारा रखा गया यह लेखा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, की धारा 77 के अधीन सही है (परिणाम की घोषणा की तारीख के पश्चात् प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए)।

अ. 15  
 एजेन्ट के हस्ताक्षर  
 3-2-3 01/01/80

(भाग-क)

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिन-प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय के लेखे के रख-रक अभ्यर्थी का नाम : राजनीतिक दल का नाम, यदि कोई निर्वाचन क्षेत्र जहाँ से निर्वाचन लड़ा गया : परिणाम की घोषणा की तारीख : निर्वाचन एजेंट का नाम एवं पता : उपगत/प्राधिकृत कुल व्यय :

(नामांकन की तारीख से लेकर निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख तक, )

1 व्यय/ घटना की तारीख	2 व्यय की प्रकृति			3 कुल राशि ₹0 में (सुगतान किया गया... रकमाया)	4 आदाता का नाम और पता	5 बिल सं०/ पाठघर सं० और तारीख	6 अभ्यर्थियों या उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत/प्राधि कृत राशि	7 राजनैति पाटी ह उपगत/ कृत रा और राजनैति दल का
	विवरण	मात्रा	प्रति यूनिट दर					
	<i>Cheques</i>							
	<i>Ledger Card Register</i>							
	<i>Bank Register is complete</i>							
	<i>AT 13/1/19</i>							
	<i>AT Head Book</i>							

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे/मेरे निर्वाचन एजेंट द्वारा रखा गया यह लेखा लोक 1951 की धारा 77 के अधीन सही है(परिणाम की घोषणा की तारीख के पश्चात् प्रमाण)